

अवकाश के लिए आवेदन पत्र

Form of Application for Leave

(देखें अनुपूरक नियम 216)

(See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी : मद सं० 1 से 11 सभी राजपत्रित अराजपत्रित आवेदकों द्वारा भरी जाएं।

NOTE : Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.

1. आवेदक का नाम
Name of applicant
2. लागू अवकाश नियम
Leave rules applicable
3. पद
Post held
4. विभाग/कार्यालय एवं अनुभाग
Department, Office and Section
5. वेतन
Pay
6. मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता या अन्य प्राप्त प्रतिपूरक भत्ता
House rent allowance, conveyance allowance,
or other compensatory allowance drawn in the
present post.
7. अवकाश की प्रकृति, अवधि तथा किस तारीख से अपेक्षित है
Nature and period of leave applied for and date
from which required.
8. अवकाश से पहले तथा बाद में जाने वाले रविवार तथा
छुट्टियाँ
Sundays & Holidays, if any proposed to be
prefixed/suffixed to leave
9. अवकाश लेने का आधार
Ground on which leave is applied for
10. पिछले अवकाश से लौटने की तारीख तथा उस अवकाश की
प्रकृति और अवधि
Date of return from last leave, and the nature
and period of that leave
11. मैं ब्लाक वर्ष के लिए अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त
करना चाहता हूँ/नहीं चाहता।
I Proposed/do not propose to avail myself of
leave travel concession for the block years
.....during the ensuing leave.
12. (क) मैं वचन देता हूँ कि अवकाश की समाप्ति या उसके दौरान मेरे सेवामुक्त होने की स्थिति में औसत वेतन पर छुट्टी,
परिवर्तित छुट्टी तथा आधे वेतन पर छुट्टी के अवकाश वेतन के अंतर को लौटा दूँगा जो पुनरीक्षित अवकाश
नियमावली 1933 के सं० नि० 81 (ख) (ii) नियम II (ग) (iii) के अंगर्गत प्राप्त नहीं है।
I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted
leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been
admissible had the provision to F.R. 81 (b) (ii)/rule II (c)-(iii) of the revised Leave Rules, 1933, not been
applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.

(ख) में वचन देता हूँ कि ऐच्छिक सेवा निवृत्ति या सेवामुक्ति के अवसर पर या जबतक मैं अदेय छुट्टी के बराबर आधे वेतन छुट्टी अर्जित नहीं कर लेता अदेय छुट्टी के दौरान प्राप्त अवकाश वेतन को लौटाने का वचन देता हूँ जो पुनरीक्षित अवकाश नियमावली 1933 के वित्तीय 81 नियम (ग) नियम (घ) के अंतर्गत देय नहीं हैं।

I undertake to refund the leave salary drawn during 'leave not due' which would not have been admissible had F.R. 81 (c)/ Rule II (d) of the revised leave Rules, 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

तारीख
Date

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
Signature of applicant

13. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश
Remarks / or recommendation of the Controlling Officer.

तारीख
Date

हस्ताक्षर
Signature

पदनाम
Designation

अवकाश की देयता का प्रमाण पत्र
CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE
(राजपत्रित अधिकारियों के लिए महालेखाकर द्वारा)
(By Accountant General in the case of Gazetted Officer)

14. प्रमाणित किया जाता है कि दिन का (अवकाश प्रकृति)
Certified that
(Nature of leave)
for from to
(Period)
दि से दि तक नियमों के अंतर्गत देय है।
is admissible under rule of the
..... Rules.

तारीख
Date

हस्ताक्षर
Signature

पदनाम
Designation

15. स्वीकृति प्राधिकारी का आदेश
Order of sanctioning authority

तारीख
Date

हस्ताक्षर
Signature

पदनाम
Designation

यदि आवेदनकर्ता प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त कर रहा है तब स्वीकृति प्राधिकारी यह भी प्रमाणित करें कि अवकाश की समाप्ति पर आवेदक की उसी पद पर या समान भत्ते पद पर लौटने की सम्भावना है।

If the applicant is drawing any compensatory allowance the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.